BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

OBJECTION BY APPLICANT

In

ORIGINAL APPLICATION NO. 1322 OF 2024

IN THE MATTER OF

Rajneesh Karnwal APPLICANT IN PERSON

Versus

Union of India through Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change and ors.

RESPONDENTS

INDEX

S.No	Particulars	Page No.
1.	Objection by Applicant	1-3
2.	Affidavit	4
3.	Annexure 1	5-6
4.	Annexure 2	7
5.	Annexure 3	8-9
6.	Annexure 4	10
7.	Annexure 5	11-17

Rajneesh Karnwal
Applicant in Person

Date : 08/07/2025
Place : Meerut

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

OBJECTION BY APPLICANT

In

ORIGINAL APPLICATION NO. 1322 OF 202

IN THE MATTER OF

Rajneesh Karnwal **APPLICANT IN**

Versus

Union of India through Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change and ors.

RESPONDENTS

OBJECTION BY APPLICANT

MOST RESPECTFULY SHOWETH;

I, Rajneesh Karnwal aged about 39 years R/O B-17,Main Road Hastinapur UP hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That on behalf of the Joint Committee, the District Magistrate, Meerut, filed an affidavit dated 17th March 2025, which was subsequently uploaded on the official website of the Hon'ble National Green Tribunal (NGT) on **20th March 2025**.
2. That according to the affidavit, **Point No. 5 (at Page No. 31)** states

> It is also submitted that the land in question belongs to private individuals as per the Report of the SDM, Mawana. Which has been attached to the Joint Committee Report as Annexure 2.

In this no any Khatauni submitted by the DM Meerut in support of the reply. But According to **Hastinapur Pandavan Khatauni** Fasli **Year 1360** wherein the land presently claimed as

private is, in fact, recorded as government land. Moreover, the said land forms part of the Budhi Ganga River. Refer Annexure 1.

3. That In **Annexure 1, Page 33, Point No. 3**, it is mentioned that:

> *No illegal construction observed on any forest land or* ***government land*** *as per records/maps provided by field staff of forest and revenue department.*

This point is also in direct contradiction to the revenue records of **Hastinapur Pandavan Khatauni** Fasli **Year 1360**, wherein the land presently claimed as private is, in fact, recorded as government land. Moreover, the said land forms part of the Budhi Ganga River and, as such, is not subject to private ownership, in accordance with various judgments of the Hon'ble Supreme Court of India, which have consistently held that riverbeds and water channels are public property and cannot be privately owned or transferred. Khatauni Fasli Year 1360 of Hastinapur Pandavan is attached herewith **Annexure 1** .

4. That the Joint Committee has failed to perform its duties in accordance with the directions issued by the Hon'ble Tribunal, thereby violating the mandate and scope of inquiry entrusted to it.

5. That the affidavit submitted before the Hon'ble Tribunal contains incorrect and misleading information and does not reflect the factual position on the ground.

6. That a news report was published in *Janwani* on **9th May 2025**, which highlights the **illegal mining activities** being carried out. The report exposes violations of environmental norms, illegal extraction of sand and the failure of local authorities to curb such activities. This report serves as independent evidence corroborating the ongoing environmental degradation in the region. A copy of this news article is enclosed as **Annexure 2**.

7. That illegal sand filling operations or construction have been initiated in the area of Hastinapur Pandavan, in blatant violation of environmental norms and without requisite approvals. **Refer Annexure 3**

8. That illegal mining operations within the Hastinapur Wildlife Sanctuary have led to the removal of large sand mounds near Saifpur Firozpur, District Meerut, thereby causing significant ecological disturbance and violation of protected area regulations. Refer satellite image of 17 Jan 2025 **Annexure 4**

9. That on **28th April 2025**, the Applicant submitted a **Written Statement** regarding **illegal tree felling** and other unauthorized activities being carried out within the **Hastinapur Wildlife Sanctuary**. A copy of the email is annexed herewith and marked as **Annexure 5**.

For all the reasons stated above the Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to take cognizance of all these facts and to pass appropriate orders to meets the ends of Justice and equity.

AND FOR THIS ACT OF KINDNESS THE APPLICANTS, AS IN DUTY BOUND, SHALL EVER PRAY.

Verification

Verified on this 8 day of July 2025 that the contents of the present Application are true and correct to my knowledge and belief and nothing material is concealed therefrom.

Rajneesh Karnwal

Applicant in Person

Date: 08/07/2025

Place: Meerut

ATTESTED 8/7/25

Shyam Singh Advocate
Public Notary Mawana

NOTARY GOVT. OF U.P. SHYAM SINGH Advocate Mawana (Meerut) R.N. 1(30)/2011

4

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1322 OF 2024

IN THE MATTER OF

Rajneesh Karnwal **APPLICANT IN PERSON**

Versus

Union of India through Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change and ors.

RESPONDENTS

Affidavit

I, Rajneesh Karnwal aged about 39 years R/O B-17, Main Road Hastinapur UP do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I am the Applicant/Applicant In Person in above mentioned application and I am fully conversant with the facts and circumstances of the case and therefore competent to swear this affidavit.
2. That, the statements made in paragraphs **01 to 09** of this affidavit is true to my knowledge

Applicant In Person

VERIFICATION

Verified on this 8 day of July 2025 that the contents of the present Application are true and correct to my knowledge and belief and nothing material is concealed therefrom.

Applicant In Person
/Deponent

ATTESTED 8/7/25
Shyam Singh Advocate
Public Notary Mawana

ANNEXURE 1

संख्या मं० - 435 ... दि० 5.12.22

फसली वर्ष - 1360

ग्राम - ... पाँडवान प० ... तहसील मवाना

जिला - मेरठ

(४) बागात

३५ - कलमी —— नदारद

३६ - दोगार

४४ - बाग — —

मौजा २४-४ ... १ ...

मौजा १४ ... २२ ...

४५ - आराज़ी गैर मुमकिन हो

१ - वह आराज़ी जिस पर पानी है

४५ बूढ़ी गंगा

[illegible]

राजस्व अभिलेखागार प्रतिलिपि अनुभाग कलक्ट्रेट, मेरठ

भार्गव भूषण प्रेस, बनारस—१९५३।

True Copy

[signature]

फार्म सं० प–क ११

17

१	२	३	४	५	६			७	८	९
					रु०	पा.	ना.			
	बूढ़ी गंगा मजाकूर		८६०	[illegible]				।		
			[illegible]	[illegible]						
४६-	नाला		[illegible]	[illegible]						
			[illegible]	[illegible]						
			८२८	[illegible]						
			८२०	[illegible]						
			८२०	[illegible]						
			[illegible]	[illegible]						
			८६२	[illegible]						
			[illegible]	[illegible]						

True Copy

[signature]

ANNEXUR 2

www.dainikjanwani.com

जिम्मेदार मौन, धरती का सीना छलनी कर रहे माफिया

अधिकारी ही खनन माफियाओं को दे रहे संरक्षण, सूरज ढलते ही क्षेत्र में कई जगहों पर शुरू हो जाता है खनन

● जनवाणी संवाददाता, हस्तिनापुर

इलाके में खनन माफिया बेखौफ धरती का सीना चीरकर खनन कर रहे हैं। खनन माफिया ने कई किलोमीटर के दायरे में खनन कर जमीनों में गड्ढे कर दिए हैं। ग्रामीणों ने अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई के लिए स्थानीय ग्रामीणों ने कई बार उच्चाधिकारियों को शिकायती पत्र भेजा है। इसके बाद भी जिम्मेदार इस मामले में मौन साधे हुए हैं। इससे खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं।

अवैध रूप से हो रहे खनन को लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत भी कराया गया, लेकिन उनके आदेशों की अवहेलना अधिकारी करते दिखाई दे रहे हैं और धड़ल्ले से जेसीबी चल रही है। जबकि कई बार लोगों की शिकायत के बावजूद समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की लचरता और मिलीभगत के चलते क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार व्यापक पैमाने पर फलफूल रहा है। इसके चलते खनन माफियाओं ने हस्तिनापुर के आसपास के जंगलों से लाखों रुपये की वन संपदा नष्ट कर दी। वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से वन संपदा के साथ कई प्रजाति के पेड़ भी नष्ट कर डाले। सरकार और शासन-प्रशासन के आदेशों को धता बताते हुए खनन माफिया धरती का सीना छलनी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अवैध खनन के कारोबार में लिप्त लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय जिम्मेदार विभाग के अधिकारी हाथ-पर-हाथ धरे बैठे हैं। रात के अंधेरे में खनन माफिया खादर क्षेत्र के कई गांव में अवैध खनन का कारोबार जारी है। लोगों का कहना है कि खनन माफियाओं को नेताओं के साथ जिम्मेदार विभाग अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया था कि अवैध खनन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है।

हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के गांव राठौड़, राठौड़ा, तारापुर, सैफपुर-फर्मचंदपुर, गजपुरा, मालीपुर, झड़ाका आदि के जंगलों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया रहा है। सत्ता पक्ष के ही कुछ नेताओं का इन खनन माफियाओं को संरक्षण मिला हुआ है। दिन-रात खनन माफिया ने राठौड़ा तारापुर के बीच जमकर खनन किया। ग्रामीणों ने खनन की सूचना राजस्व विभाग के अधिकारियों सहित थाना पुलिस और खनन अधिकारी को दी। खनन माफिया से मिलीभगत के चलते खनन अधिकारी, थाना पुलिस या राजस्व की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिसके चलते खनन माफिया ने रात भर जमकर खनन सरकारी खजाने को लाखों की चपत लगाई। खनन के लिए तहसील में तैनात खनन अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों का जमकर उल्लंघन करते हैं। ग्रामीणों की फोन उठाना तो दूर की बात है, यदि कोई खनन अधिकारी के नंबर पर लगातार फोन करता है, तो उसका नंबर भी ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया जाता है। मामले में एसडीएम मवाना दीपक माथुर का कहना है कि रात को खनन की जानकारी पर थाना प्रभारी को खनन रुकवाने के लिए कहा गया था, लेकिन थाना पुलिस के मौके पर न पहुंचने की जानकारी मिली है। मामले में कार्रवाई की जाएगी।

हवा में उड़ गए एनजीटी के आदेश!

एनजीटी के आदेशों को पूरी तरह हवा में उड़ाते हुए खनन माफिया, पुलिस, प्रशासन और खनन विभाग तीनों से सेटिंग कर धड़ल्ले से अपना काम कर रहे हैं। क्षेत्र में बन रही कॉलोनियों में भराव के नाम पर रातों-रात खनन कर सैकड़ों ट्रॉलियां, डंपर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। बताया जाता है कि अवैध मिट्टी खनन की शिकायतें लोगों ने कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से कीं, लेकिन खनन माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण खनन माफिया भराव के नाम पर ठेका ले रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि देहात क्षेत्रों में मिट्टी के अवैध खनन का कारोबार बड़े स्तर पर चल रहा है। दिनभर सड़कों पर मिट्टी से भरे डंपर दौड़ते रहते हैं। हस्तिनापुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। इतना ही नहीं अनुमति से दोगुना स्थानों पर अवैध खनन और वो भी जेसीबी से किया जा रहा है। यही नहीं जितनी गहराई तक खुदाई की अनुमति मिली है, उससे दोगुना से ज्यादा खुदाई करने के कारण बहुत स्थानों पर खाई बन गई है।

आकाओं की मिलीभगत से चल रहा अवैध खनन का खेल

आकाओं की सरपरस्ती में इन दिनों मिट्टी के अवैध खनन का धंधा परवान पर है। खनन माफिया धरती का सीना छलनी कर अवैध कॉलोनियों में भराव कर रहे हैं। खनन फावड़े के बजाय जेसीबी से हो रहा है, अनुमति से अधिक स्थानों पर हो रहा है, जितनी गहराई तक खुदाई की अनुमति है, उसके दोगुना खोदा जा रहा है और यह सब राजनीतिक और कुछ प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत से चल रहा है। पुलिस प्रशासन के आलाधिकारियों तक को इस बात की सूचना होने के बावजूद अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई खनन माफियाओं के खिलाफ नहीं की गई?

True Copy

[signature]

ANNEXURE 3

True Copy

GPS Map Camera
Hastinapur Pandwan, Uttar Pradesh, India
5246+pc5, Hastinapur Pandwan, Uttar Pradesh 250404, India
Lat 29.157636° Long 78.010796°
12/05/2025 07:04 PM GMT +05:30
Google

True Copy

ANNEXURE 4

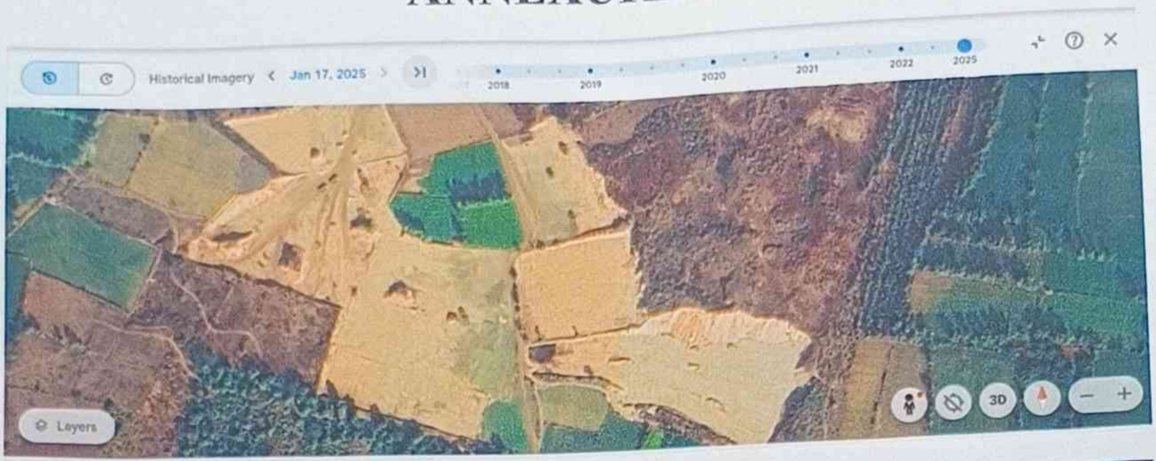

True Copy

[signature]

ANNEXURE 5

1 of 7

Written Submission in the Matter of Rajneesh Karnwal vs Union of India and ors OA 1322 of 2024

RAJNEESH KARNWAL <rajneeshkarnwal24@gmail.com>
to judicial-ngt, secy-moef, psecforest-up, dmmee, dfomeerut@gmail.com

Mon, Apr 28, 10:13 AM

Respected Sir/Madam,
Pl. refer attachment.

Applicant
Rajneesh karnwal

One attachment • Scanned by Gmail

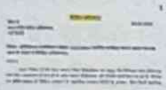

True Copy

लिखित अभिकथन

सेवा में, **28.04.2025**
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली

विषय: ओरिजिनल एप्लीकेशन संख्या 1322/2024 रजनीश कर्णवाल बनाम भारत संघ एवं अन्य के संदर्भ में लिखित अभिकथन।

महोदय,

सादर निवेदन है कि मेरठ जनपद स्थित ऐतिहासिक एवं समृद्ध जैव विविधता वाले हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य में हाल ही में अवैध सड़क चौड़ीकरण और निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। दिनांक **27 अप्रैल 2025** को विभिन्न अखबारों में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट के अनुसार, बिना किसी वैधानिक अनुमति के सड़क निर्माण कार्य वन्य जीव क्षेत्र के भीतर हो रहा है, जिससे प्राचीन वृक्षों की कटाई एवं जंगली जीवों के प्राकृतिक आवास को भारी क्षति पहुँच रही है।

यह कार्य सीधे-सीधे **वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972**, **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986** एवं संबंधित नियमों का उल्लंघन है। **यह कार्य न केवल अवैध है, बल्कि हस्तिनापुर की ऐतिहासिक और पारिस्थितिक धरोहर को भी नष्ट कर रहा है।**

अत्यंत खेदजनक है कि वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी स्वयं इस अवैध कार्य को जानते हुए भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब डीएफओ मेरठ यह बयान दे रहे हैं कि मामला उनके संज्ञान में है परंतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही, तो प्रश्न उठता है कि:

- क्या अब इस तरह से संरक्षित क्षेत्रों को समाप्त कर दिया जाएगा?
- क्या वन विभाग की निगरानी में ही वन क्षेत्र उजड़ने दिए जाएंगे?

जिन अधिकारियों का कर्तव्य वन संरक्षण है, वे स्वयं अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं। आज वे यहाँ कार्यरत हैं, कल किसी अन्य जिले में चले जाएंगे, परंतु **उजड़ा हुआ जंगल पुनः जीवित नहीं हो पाएगा।**

विनम्र अनुरोध है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इस गंभीर मामले में तत्परता से संज्ञान लें।

अतः आपसे निवेदन है कि:

1. हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में चल रहे अवैध निर्माण कार्यों को तत्काल प्रभाव से रोका जाए।
2. संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
3. एक उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच कमेटी का गठन कर पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
4. भविष्य में अभयारण्य क्षेत्र में किसी भी कार्य के लिए एनजीटी और अन्य पर्यावरणीय प्राधिकरणों से पूर्व अनुमति अनिवार्य की जाए।
5. उजड़े हुए हिस्सों में पुनः वनीकरण एवं पारिस्थितिक पुनर्स्थापन का कार्य कराया जाए।

आपकी शीघ्र सकारात्मक कार्यवाही से देश की जैवविविधता एवं पर्यावरण को संरक्षित करने में सहायता मिलेगी।

True Copy

भवदीय,

संलग्न : उपरोक्तानुसार

रजनीश कर्णवाल (आवेदक)
मकान नंबर बी/17 मैन रोड
हस्तिनापुर , मेरठ

प्रतिलिपि

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, लखनऊ
3. जिलाधिकारी मेरठ
4. डीएफओ, मेरठ
5. एसडीएम मवाना

True Copy

खबरें छुपाता नहीं, छापता है

शाह टाइम्स

www.shahtimesnews.com

विस्तृत खबरों के लिए QR कोड स्कैन करें। मुफ्त पढ़ें E-paper

मेरठ, रविवार 27 अप्रैल 2025 मेरठ संस्करण: वर्ष 18 अंक 331 पृष्ठ 12 मूल्य रुपये 5.00

वैशाख कृष्ण पक्ष 15 विक्रमी सम्वत् 2082 | 28 शव्वाल 1446 हिजरी | नई दिल्ली, मुजफ्फरनगर, देहरादून, हल्द्वानी, मुरादाबाद, कोटी, मेरठ व लखनऊ से प्रकाशित

शाह टाइम्स | मेरठ मेट्रो | मेरठ, रविवार, 27 अप्रैल 2025 | 4

वन्य अभ्यारण क्षेत्र हस्तिनापुर में जिम्मेदार ही करा रहे अवैध कार्य

शाह टाइम्स संवाददाता

मेरठ। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के आरक्षित जंगलों में हो रहा अतिक्रमण रूकने का नाम नहीं ले रहा है। पुराना हस्तिनापुर जंबुद्वीप जैन मंदिर निशिया जी के समीप वन आरक्षित क्षेत्र में सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है जिससे जंगल के सड़क के नजदीक पेड़ों का कटान हो रहा है जिससे वन्य जीव विहार का महत्व नहीं रह जाता है। जबकि सरकार के सख्त निर्देश है कि वन्य जीव विहार के आरक्षित क्षेत्र में किसी भी तरह का अतिक्रमण रोका जाना चाहिए परंतु सरकार के नुमाइंदे ही सरकार के नियमों की अनदेखी कर आंख मूंदे बैठे हैं।

हस्तिनापुर वन्य जीव विहार लगातार अतिक्रमण की जद में जकड़ता जा रहा है। इसी हस्तक्षेप के चलते वन्य जीव प्रभावित हो रहे हैं। आये दिन बाहरसिंघा तंदुएं आदि जीव जंगलो में बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप के कारण बस्तियों की ओर रूख कर रहे हैं। ऐसा ही मामला यहां वन्य जीव विहार में जंबूद्वीप से आगे मध्य गंग नहर तक जाने वाले मार्ग पर चौड़ीकरण कार्य चल रहा है जबकि वह वन्य जीव विहार का आरक्षित क्षेत्र है। कई बार लोगों ने इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की परंतु उन्होंने इस तरफ ध्यान देना गंवारा नहीं समझा।

एक सप्ताह पूर्व ही रूका था कार्य

वन विभाग के अधिकारी स्वयं अपने बुने जाल में स्वयं ही फंसते नजर आ रहे हैं जिस कार्य को वन विभाग ने एक सप्ताह पूर्व ही बिना प्रदेशीय वन्य जीव बोर्ड की अनुमति न होने के कारण बंद करा दिया था। इतना ही नहीं सड़क के चौड़ीकरण करने वाले ठेकेदार की जेसीबी भी रेंज कार्यालय पर खड़ी कर दी गयी थी तथा वन्य जीव अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन के तहत कार्यवाही करते हुए जुर्माना भी वसूला था परंतु अब उसी सडक के चौडीकरण का कार्य धड़ल्ले से प्रारंभ हो गया हैं परंतु अब उस पर कार्यवाही करने से वन विभाग के अधिकारी गुरेज कर रहे है।

रसूखदारों के लिए नियम नहीं

उक्त मार्ग जम्बूद्वीप से मध्य गंग नहर पटरी तक लगभग दो किमी का पेंच वन्य जीव विहार के आरक्षित क्षेत्र से होकर गुजरता है। जहां भारी संख्या में वन्य जीव निवास करते हैं। वही इस जंगल में अजगर भी अधिकांश दिखाई देते रहते हैं। वहीं कुछ जैन मंदिर भी इसी मार्ग पर आते हैं तो लोगों का कहना है कि क्या वन विभाग के नियम रसूखदार लोगों पर नही लागू होते है या फिर केवल आमजनमानस पर ही हंटर चलता है।

पहले भी हुई थी कार्रवाई

लगभग एक दशक पूर्व उपरोक्त रास्ते के समीप ही महाभारत के पितामह का किरदार निभा रहे कलाकार मुकेश खन्ना को शूटिंग के दौरान वन विभाग ने कैमरे की चिप जब्त कर ली थी। गंगा नदी के भीकुंड पुल व अप्रोच रोड को वन विभाग ने सेंचुरी में बिना अनुमति के निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए ठेकेदार व पीडब्लयूडी के इंजीनियरो के खिलाफ एफआईआर तक करा दी थी। जिस कारण पुल का कार्य अधर में लटका रहा था और वन विभाग की अनुमति के बाद ही पुल पर नियमों के अनुरूप ही कार्य प्रारंभ हो सका था। हस्तिनापुर नगर की ब्लॉक में सामाजिकी वानिकी प्रशिक्षण केंद्र के पीछे नाले के निर्माण को भी रूकवा दिया था।

जिला वन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि यह कार्य पी डब्लू डी द्वारा कराया जा रहा है कहकर पल्ला झाड़ लिया इस कार्य की परमिशन वन विभाग द्वारा हुई है के सवाल पर जिला वन अधिकारी ने बात को घुमा दिया लेकिन परमिशन के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।

True Copy

[signature]

हस्तिनापुर वन्य आरक्षित क्षेत्र में हो रहा धड़ल्ले से चल रहा अतिक्रमण

शाह न्यूज संवाददाता, हस्तिनापुर

हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के आरक्षित जंगलों मे हो रहा अतिक्रमण रूकने का नाम नही ले रहा है। जिससे वन्य जीव विहार का महत्व नही रह जाता है। जबकि सरकार के सख्त निर्देश है कि वन्य जीव विहार के आरक्षित क्षेत्र मे किसी भी तरह का अतिक्रमण रोका जाना चाहिए। परंतु सरकार के नुमाइंदे ही सरकार के नियमो की अनदेखी कर आंख मूंद बैठे है।

हस्तिनापुर वन्य जीव विहार लगातार अतिक्रमण की जद मे जकड़ता जा रहा है। इसी हस्तक्षेप के चलते वन्य जीव प्रभावित हो रहे है। आये दिन बाहरसिंघाए तंदुऐं आदि जीव जंगलो मे बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप के कारण बस्तियो की

क्या कहते है जिला वन अधिकारी

जिला वन अधिकारी राजेश कुमार ने बड़ा ही हास्यास्पद बयान दिया कि जब कार्य रूकवाया गया था। तब अनुमति नहीं थी परंतु अब उन्हें अनुमति प्रदान हो गयी है। परंतु यह समझ से परे है कि आखिर अनुमति के लिए सालों चलने वाली प्रक्रिया एक सप्ताह मे कैसे पूर्ण हो गयी।

ओर रूख कर रहे है। ऐसा ही मामला यहां वन्य जीव विहार मे जंबुद्वीप से आगे मध्य गंग नहर तक जाने वाले मार्ग पर चैड़ीकरण कार्य चल रहा है। जबकि यह वन्य जीव विहार का आरक्षित क्षेत्र है। कई बार लोगों ने इसकी शिकायत उच्चाधिकारियो से की परंतु उन्होंने इस तरफ ध्यान देना गवारा नही किया। वन विभाग के अधिकारी स्वयं अपने बुने जाल मे स्वयं ही फंसते नजर आ रहे हैं। जिस कार्य को वन विभाग ने एक सप्ताह पूर्व ही बिना प्रदेशीय वन्य जीव बोर्ड की अनुमति न होने के कारण बंद करा दिया था। इतना ही नही सड़क के चैड़ीकरण करने वाले ठेकेदार की जेसीबी भी रेंज कार्यालय पर खड़ी कर दी गयी थी तथा वन्य जीव अधिनियम की धाराओ के उल्लंघन के तहत कार्यवाही करते हुए जुर्माना भी वसूला था। परंतु अब उसी सड़क के चैड़ीकरण का कार्य धड़ल्ले से प्रारंभ हो गया है। परंतु अब उस पर कार्यवाही करने से वन विभाग के अधिकारी गुरेज कर रहे है।

True Copy

[signature]

4

True Copy

[signature]

True Copy

[signature]

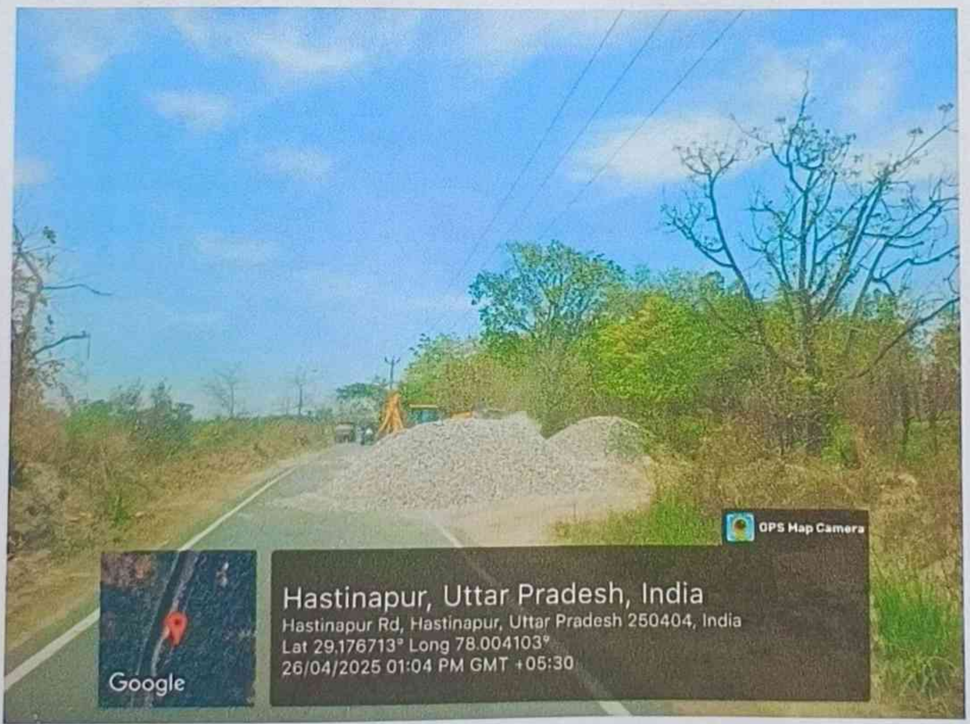

True Copy

True Copy

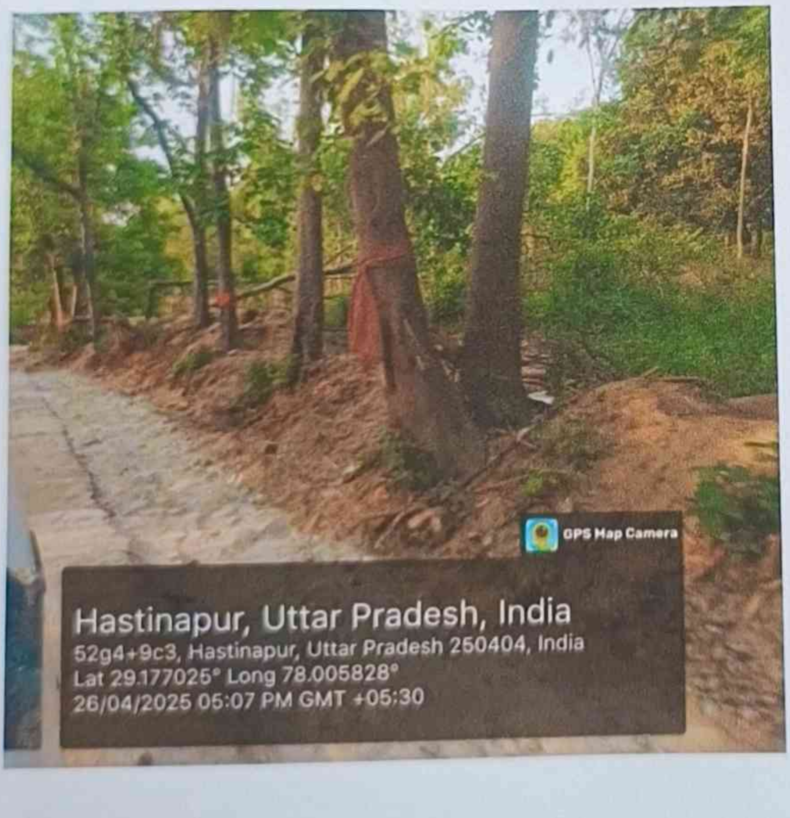

True Copy

True Copy